न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -56/2021

अनवान

श्री शम्भूलाल मीणा पुत्र दुर्गालाल जी मीणा, उम्र 35 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी रूपनगर, तहसील एवं जिला बूंदी, राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. डालू भील पुत्र स्व. देव्या भील, उम्र वालिग, निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती भँवरी पुत्री स्व. देव्या भील, उम्र बालिग, निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. श्रीमती सोहनी पुत्री स्व. देव्या भील, उम्र बालिग, निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. श्रीमती भूली पुत्री स्व. देव्या भील, उम्र बालिग, निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. नारू पुत्र स्व. मेघा भील ,उम्र बालिग, निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
6. प्रभू भील पुत्र स्व. मेघा भील,, उम्र बालिग, निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्रीमती नानीबाई पुत्री स्व. मेघा भील,, उम्र बालिग, निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी
श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 19.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में तथ्य वादी प्रार्थी की उक्त अनवान सदर का वादपत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत कर दिया है जो सशक्त आधारो पर आधारित होने से अवश्य ही वादी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित एवं डिक्री होगा परन्तु निर्णय होने में समय लगना निश्चित है इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। ग्राम श्रीपुरा प0ह0 श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा राजस्थान में कृषि भूमियां विपक्षीगण की माता हरजू एवं पिता मेघा भील निवासीी श्रीपुरा खातेदार के नाम 1/2,1/2 हक अधिकार से खातें में दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी जो जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 की खाता संख्या 312 में दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है जिसका खसरा संख्या 556, रकबा 0.7100 है0 लगान 14.91 रू0, खसरा संख्या 557, रकबा 0.0300 है0(गै.मु.आ.चा.), खसरा संख्या 559, रकबा 0.3100 है0 लगान 6.51 रू0, खसरा संख्या 561, रकबा 0.3100 है0 लगान 6.51 रू0, खसरा संख्या 562, रकबा 0.0800 है0 लगान 0.32 रू0, खसरा संख्या 563, रकबा 0.0100 है0(गै.मु.आ.चा.), खसरा संख्या 569, रकबा 0.9300 है0 [illegible] खसरा संख्या 915, रकबा 0.4400 है0 लगान 2.20 रू0, खसरा संख्या 91[illegible] 0.5300 है0 लगान 2.65 रू0 कुल किता 09, कुल रकबा 2.8100 हैक्टेयर, [illegible] लगानी [illegible]10 रू. दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा राज. में [illegible] के स्वामित्व कब्जे काश्त की उपर्युक्त वर्णित खाता संख्या 312 में खसरा संख्या 91[illegible]16 किता 02 रकबा 0.9700 हैक्टेयर कृषि भूमियां जो प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 16.06.2009 को प्रतिफल एवज कमतन राशि 40,000/- रू. अक्षरे चालीस हजार [illegible]ये में खातेदार स्व. हरजू बेवा देव्या भील तथा स्व. मेघा पिता रामाजी भील निवासीी श्रीपुरा से क्रय की गई तथा कृषि भूमियों का कब्जा भी प्रार्थी को विक्रेतागण ने उसी वक्त सुपुर्द कर दिया था तभी से प्रार्थी इन उक्त आराजी जेर बहस पर काबिज होकर काश्तकारी कार्य करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.28 13:42:37 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमियाँ क्रय करने के पश्चात् से ही प्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमियों को काफी अंग-मेहनत कर काफी रूपया खर्च कर इन कृषि भूमियों को आबाद कर काबिल काश्त बनाई तथा कृषि भूमियों के चारों ओर पत्थर की कोट करवाई एवं लगातार सन् 2009 से काबिज होकर काश्त करता एसवं करवाता चला आ रहा है। प्रार्थी शम्भूलाल मीणा द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर कृषि भूमियों का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु राजस्व कर्मचारीगण-पटवारी, गिरदावर के यहां कार्यवाही की गई तथा विक्रय पत्र की प्रति उसी समय पटवारी साहब पटवार हल्का श्रीपुरा को दे दी थी किन्तु पटवारी महोदय बार-बार कार्यवाही करने एवं नामान्तरकरण खोलने का मात्र आश्वासन ही देते रहे परन्तु प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खोला गया तथा विक्रय पत्र भी अपने पास ही रख रखा हैं इस दौरान विपक्षीगण के मन में उक्त प्रार्थी के कब्जे काश्त की क्रयशुदा भूमियों को लेकरर लालच व बदयांति आ गई तथा राजस्व शिविर का मौके पर नाजायज फायदा उठाकर राजस्व अधिकारीगण को सही वस्तुस्थिति व मौके की स्थिति से अवगत कराये बिना उक्त वर्णित प्रार्थी की क्रयशुदा भूमियों का इन्तकाल चुपके-चुपके अपने नाम खुलवा लिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 14.07.2015 है। सभी विपक्षीगण हमसलाह होकर उक्त वर्णित नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 14.07.2015 की आड़ में प्रार्थी की क्रयशुदा उक्त कृषि भूमियाँ खसरा संख्या 915 व 916 रकबा 0.9700 हैक्टेयर पर जबरन नाजायज प्रवेश कर प्रार्थी के कब्जे की कृषि भूमियों पर नाजायज कब्जा कर उन्हें हड़प कर जाना चाहते है तथा पुनः अपने कब्जे में लेने पर आमादा हो रहे है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विपक्षीगण की माता हरजू बेवा देव्या भील एवं मेघा पिता रामा भील किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र से पाबन्द है तथा विक्रित कृषि भूमियों को पुनः अपने कब्जे में लेने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निर्णय तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना-पत्र चरण संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमियों पर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विपक्षीगण उक्त वर्णित कृषि भूमियों में किसी प्रकार से अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश नहीं करे तथा कृषि भूमियों पर हकांई-जुताई-बुवाई नहीं करे एवं प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, मदाखलत, दस्तंदाजी ना तो स्वयं करे ना दिगर किसी व्यक्ति से कराने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र पुरोहित मय वकालतनामा प्रस्तुत हो जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 1 से 7 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 वाद पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार शेष कथन अस्वीकार है। कॉलम संख्या 02 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 04 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा कोई भी राशि अदा कर हरजू बेवा देव्या भील तथा स्व0 मेघा पिता रामाजी भील से कोई आराजी क्रय नही की इन्होनें अपने जीवन काल में अप्रार्थीगण को इस बारे में कोई कथन नहीं किये तथा कोई पंजीयन प्रार्थी द्वारा धोखे में रखकर तथा अधिकारों से परे जाकर कराया गया है तो इसका निरस्तीकरण का वाद सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार जी रावतभाटा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेदखली 183 बी जिसके मुकदमा नम्बर 01/2020 प्रस्तुत किया गया था जिसके जवाब के कथन से आराजी के पंजीयन की जानकारी मिली जिसमें निरस्तीकरण का वाद सिविल कोर्ट में विचाराधीन है जिसके मुकदमा नम्बर 17/2021 है, अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार है कानुनन प्राथी को खातेदार घोषित [illegible] सकता और ना ही अधिकार से परे जाकर किये गये बेचान के अनुसार नामां[illegible] तस्दीक [illegible] जा सकता है। सम्पूर्ण आराजी पुस्तैनी है तथा प्रार्थी शम्भूलाल ने [illegible] की आराजी खरीद की है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है और संवत 2014 से 201[illegible] जमाबंदी में वादीगण के दादा रामा पिता देवराज के नाम दर्ज रिकार्ड थी तब से ही विरासत से इंतकाल खुलते हुए अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजीयात दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीया तमे[illegible] खसरा संख्या 915 रकबा 0.44है0 एवं खसरा संख्या 916 रकबा 0.53है0 पर अप्रार्थी काबिज काश्त कर रहे थे परन्तु शम्भुलाल द्वारा हमारी आराजी पर जबरन कब्जा किया है खसरा संख्या 915 व 916 के गत खसरा संख्या 184/2 व 185/2 थे इस भूमि का बैचान शम्भूलाल मीणा ने षडयंत्र से हरजू बेवा देव्या व मेघा पिता रामा भील से अपने अधिकारों से परे जाकर पंजीयन पक्ष में करा लिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagor
Date: 2024.11.28 13:42:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पंजीयन दस्तावेजों से जानकारी हुई कि पंजीयन दिनांक 16.06.2009 को कराया गया इस दिनांक का हम सभी अप्रार्थीगण जीवित थे तथा उक्त आराजी पुश्तैनी होने से हम सभी का अधिकार भी था पंजीयन गलत होने से अवैध व शुन्य है। जब देव्या का स्वर्गवास हुआ उसके बाद उसका इंतकाल उसके वारिसान हरजू, डालू, भंवरी, सोहनी व भूली के नाम संयुक्त रूप से खुलना था परन्तु इंतकाल की सही जांच नही होने से केवल हरजू बेवा देव्या के नाम इंतकाल खोला गया जो भी पूर्णतया अवैध है, इस आधार पर भी प्रार्थी शम्भूलाल का सम्पूर्ण आराजी पर हक नहीं बनता है। अंत में जवाब प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थी शम्भूलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारीज फरमाया जावे, अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा लागू नहीं होती है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के लिखित वहस प्रस्तुत की। लिखित वहस का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कानूनन किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते वक्त न्यायालय को दिवानी प्रक्रिया संहिता के कानून के तहत आदेश 39 नियम 01 व 02 तथा धारा 212 रा.टी.ए. के तहत मुख्य रूप से तीन विन्दुओं को देखना आवश्यक होता है तथा वादी प्रार्थी को उक्त तीनों विन्दू सावित किया जाना आवश्यक है जो कि निम्न प्रकार है। 1. प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होना, 2. सुविधा का संतुलन, 3. अकथनीय हानि। (अ) प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित होनाः- वादी प्रार्थी ने ग्राम श्रीपुरा प0ह0 श्रीपुरा तहसील रावतभाटा में स्थित कृषि भूमियां जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 01 में अंकित किया गया है। यह कृषि भूमियां जो राजस्व रिकार्ड जमावंदी सम्वत 2065-69 की खाता संख्या 287 तथा जमावंदी 2069-72 की खाता संख्या 212 पर दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी जिसमें विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 04 की माता हरजू एवं विपक्षी संख्या 5, 6, 7 के पिता स्व0 मैघा भील निवासी श्रीपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिनमें दोनों का 1/2-1/2 हक व हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी जिसमें से खसरा संख्या 915 रकवा 0.44है0 किस्म वारानी प्रथम कुल रकवा 0.97है0 कृषि भूमियां प्रार्थी ने उक्त खातेदार विक्रेतागण से जरिये रजिस्र्टड विक्रय पत्र के दिनांक 16.06.2009 को किमत राशि 40,000 रूपये में क्रय की गई थी तथा कृषि भूमियों का कब्जा भी विक्रेता हरजू एवं मेघा भील ने उसी समय प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था तथा तभी से प्रार्थी इन आराजी जैर वहस पर काविज होकर लगातार आज दिनांक तक काश्तकारी कार्य करता चला आ रहा है। प्रार्थी वादी ने उक्त कृषि भूमियों को क्रय करने के पश्चात काफी अंग मेहनत कर काफी रूपया खर्च कर उसे काविल काश्त करने योग्य बनाया किन्तु उक्त रजिस्टर्ड सेल डिड के पश्चात प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का नामान्तरण खुलवाने हेतु पंजीकृत विक्रय पत्र पटवारी प0ह0 श्रीपुरा को प्रार्थना पत्र के साथ दिया तथा नामान्तकरण खुलवाने की कार्यवाही की किन्तु पटवारी प0ह0 श्रीपुरा ने नामान्तकरण खोलने में देरी की तथा प्रार्थी के बार बार कहने पर भी उसे आश्वसन देता रहा किन्तु प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण नही खोला तथा असल विक्रय पत्र भी अपने पास रख लिया इस दौरान विक्रेतागण हरजू पत्नि देव्या भील तथा मेघा पिता रामा भील का स्वर्गवास हो गया। (व) सुविधा का संतुलनः- सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है क्योकि वादी प्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमियों का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 16.06.2009 को क्रय कर ली थी तभी से वादी प्रार्थी उक्त कृषि भूमियों पर काविज है। (स) अकथनीय हानिः- वादी प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों को जरिये विक्रय पत्र के 40,000 रूपये में क्रय की तथा कृषि भूमियों का कब्जा भी सन 2009 से वादी प्रार्थी के पास ही है जिस पर वह काविज होकर काश्त कर रहा है कृषि भूमियां क्रय करने के पश्चात वादी प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों को काफी धन राशि खर्च कर आवाद किया है तथा वादी प्रार्थी के परिवार के भरणपोषण का एक मात्र साधन यह कृषि भूमियां ही है अगर विपक्षीगण ने प्रार्थी की क्रयशुदा कृषि भूमियों पर नाजायज कब्जा कर प्रार्थी को वेदखल कर दिया तो प्रार्थी को भारी आर्थिक हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं होगी। अंत में वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए उक्त तीनों विन्दू अपने प्रार्थना पत्र में सावित किये गये है जो प्रार्थी वादी के पक्ष में जाते है इस कारण प्रार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत धारा 212 रा.टी.ए.का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] वह वादी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं पंजिकृत विक्रय पत्र के क्रयशुदा कृषि भूमियों [illegible] श कर कब्जा नही करें तथा न ही कृषि भूमियों को रहन वह एवं मुन्[illegible]

इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित [illegible] किया कि प्रार्थी द्वारा पंजीयन के आधार पर वाद प्रस्तुत किया [illegible] 6 सम्पूर्ण हिस्से का बेचान अधिकारों से परे जाकर किया गया था, आराजी पुश्तैनी होने से अप्रार्थी [illegible] हकदार है, जिस पंजीयन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत हुआ वह पंजीयन दस्तावेज ही अवैध होकर शुन्य है। पंजीयन निरस्तीकरण का वाद सिविल कोर्ट रावतभाटा में विचाराधीन है जिसकी प्रकरण संख्या 17/21 तारीख पेशी 27.11.2024 साक्ष्य वादी हेतु मुकर्रर है। जमावंदी सम्वत 2076-79 की खाता संख्या 97 में अप्रार्थी/प्रतिवादी बतौर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, पत्रावली में मौजुद वर्तमान जमावंदी से स्पष्ट है। जमावंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.28 13:42:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

में 9 खसरे है 2 खसरे 915, 916 पर विवाद है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में तीन विन्दू देखे जाने है (1) पृथमदृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपरिमित क्षति। अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड में खातेदार होने से तीनों विन्दू अप्रार्थी के पक्ष में है। वकील अप्रार्थी द्वारा आरआरडी की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की वहस पर मनन किया अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सवूत ग्राम श्रीपुरा, प0ह0 श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ वर्तमान खाता संख्या 97 की आराजी संख्या 556, 557, 559, 561, 562, 563, 569, 915, 916 कुल किता 09 कुल रकबा 2.81है0 कृर्षि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य के नाम सहखातेदारी हक में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक अप्रार्थी का होना सावित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में अधिक है तथा अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी को होना प्रतित होती है। अप्रार्थी संख्या 01 रिकार्डेड खातेदार होने से इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है एवं मूल वाद धारा 88, 188 के निस्तारण पर ही स्थिति स्पष्ट प्रतित होनी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.28 13:42:37 IST
Reason: SelfAttested